[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 17/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख, 10 अप्रैल, 2019

सा.का.नि......(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 855(अ), तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 44/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में, चौथे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि माल या सेवा या दोनो की मार्च, 2019 मास के लिये केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ती के ब्यौरे इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 13 अप्रैल, 2019 को या उसके पूर्व प्रस्तुत किये जाएँगें ।" ।

[फा. सं. 20/06/16/2018 - जीएसटी (भाग II)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना संख्यांक 44/2018 - केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 855(अ), तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.1249(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 72/2018 - केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा किया गया था ।